(1)

सं0—1178 / 67—कृशिअ—14—500(6) / 14

प्रेषक,

सुरजन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग — लखनऊःदिनांकः 14 नवम्बर, 2014

विषयः सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के कार्य के संचालन हेतु कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की परिनियमावली (Statutes) अंगीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या—सवप / वी.सी. / 2998 / 2014, दिनांक 20.06.2014 का संदर्भ ग्रहण करे जिसके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के कार्य संचालन हेतु परिनियमावली (STATUTES) प्रख्यापित होने की तिथि तक चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की परिनियमावली के अनुसार कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2— अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की परिनियमावली प्रख्यापित होने की तिथि तक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की परिनियमावली, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ हेतु प्रभावी रहेगी।

भवदीय,

OS (P) / EO

(सुरजन)
संयुक्त सचिव।

17/11/14

कुलपति कार्यालय
क्रम सं 4229
दि० 17/11/14

S.V.P.U.A. & T. Registrar Office
R. No. 6412
Date 17/11/14
MEERUT

REGISTRAR
S.V.P.U.A. & T., MEERUT

संख्या:- 4721/जी.एस. पंजीकृत

लखनऊ, दिनांक 5-11- अक्टूबर, 199 ६।

(पिन कोड नं.-227132)

प्रेषक

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर विधिक परामर्शदाता,

उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

कुलपति,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर ।

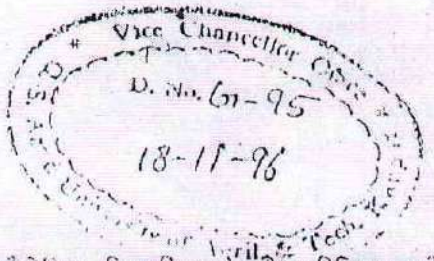

Vice Chancellor Office
D. No. 61-95
18-11-96

विषय: चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अध्याय-२१ की धारा-२८(आर) की उप धारा-६ (स्टडी लीव) में संशोधन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक २६६७/सी०एस०ए०यू०/आर०, दिनांक ६ नवम्बर, १९९५ का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-२९(६) के अधीन चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-२१ की धारा-२८(आर) की उप धारा-६(स्टडी लीव) में निम्नलिखित संशोधन स्थापित किये जाने की अनुमति सहर्ष प्रदान कर दिया है :-

EXISTING	AMENDMENT
6. STUDY LEAVE:	
The study leave to teachers going for training shall be governed as follows:	The study leave to teacher/scientific staff of the University for higher degree shall be governed as follows:
a) He shall be entitled to leave on full pay for the period of earned leave that may be due to him.	a) He shall be entitled to leave on full pay for the period of the degree programme at this University: for Under-graduate course four years, for post-graduate course two years and for Ph.D. Course three years. A teacher/scientist of the University will be entitled for study leave for the degree programme for the prescribed period at any other University in the country on payment of the difference of his full pay at this University and the fellowship/scholarship, if any being drawn by him at that University.
b) The rest of the period of training shall be on half pay.	
c) The incumbent going for training shall be required to sign a bond for a period of 3 years, if he goes for a period of less than one year and a bond for 5 years if he goes for more than one year.	

..2

d) [illegible] will be necessary.

e) [illegible] the training [illegible] d the salary [illegible] getting at [illegible] proceeding on leave together with the normal increments due during the period of training.

) The incumbent will be allowed to contribute towards provident fund as permissible under rules as if he was drawing full salary. The University's contribution will also be made provided he contributes his due share.

No body will be allowed 'STUDY LEAVE' more than once through out his service.

b) Only those teachers/Scientific staff of the University who have completed atleast 5 years of the service will be entitled for study leave for the purpose indicated in (a) above.

c) The incumbent going for degree programme shall be required to sign a bond for a period of 3 years, if he goes for a period of one year or less than one year and a bond for 5 years if he goes for more than one year.

d) A substitute will be appointed if necessary.

e) The incumbent will be allowed to contribute towards provident fund as permissible under rules as if he was on duty. The University's contribution will also be made.

f) No body will be allowed 'STUDY LEAVE' more than once through out his service.

उपरोक्त संशोधन उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग-८ की पत्रावली संख्या-४००(१७२)/९५ में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार दुबे)
कुलाधिपति के अपर विधि परामर्शी ।

प्रतिलिपि सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कृषि अनुभाग-८ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (प्रतिलिपि कृषि अनुभाग-८ की पत्रावली में रखी जायेगी)

(प्रदीप कुमार दुबे)
कुलाधिपति के अपर विधि परामर्शी ।

उत्तर प्रदेश सरकार
कृषि (8) अनुभाग
संख्या- 3204-A/12-8-2000-400(96)99
लखनऊ : दिनांक 27 सितम्बर, 2000

अधिसूचना

उ0प्र0 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 19 सन् 2000) द्वारा यथासंशोधित उ0प्र0 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय अधिनियम 1958 (उ0प्र0 अधि-नियम सं0 45, 1958) जिसे आगे अधिनियम कहा गया है की धारा-2-क की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल 2 अक्टूबर, 2000 को ऐसा दिनांक नियत करते है जब से मेरठ में सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय स्थापित किया जायेगा ।

आज्ञा से,
(डा0 नसीम जैदी)
सचिव ।

संख्या- 3204-A (1)/12-8-2000, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना के उ0प्र0 असाधारण गजट के दिनांक के अंक के विधायी परिशिष्ट भाग-4 के खण्ड-अ में प्रकाशनार्थ/अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद संलग्न है । कृपया अधिसूचना की 100 प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. सचिव, कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश, राज भवन, लखनऊ ।
3. महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ ।
4. कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय, पंतनगर/कुमारगंज फैजाबाद/कानपुर/इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट डीम्ड विश्व विद्यालय
5. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/सहारनपुर, मण्डल सहारनपुर/आगरा मण्डल, आगरा ।
6. जिलाधिकारी, सहारनपुर/मेरठ/उधमसिंह नगर/आगरा ।
7. सूचना निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ ।
8. समस्त जिलाधिकारी ।

आज्ञा से,
(डा0 नसीम जैदी)
सचिव ।

क्रम-संख्या—110

रजिस्ट्रेशन नम्बर—जी०—11/लाई०—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 24 मई, 2006

ज्येष्ठ 3, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 583/सात-वि-1–01(क)18-2006

लखनऊ, 24 मई, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 23 मई, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958 की धारा 14 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 14 में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

(3-क) रजिस्ट्रार राज्य के तीनों कृषि विश्वविद्यालयों के समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु, चक्रीय क्रम से, संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958) के अधीन स्थापित तीनों विश्वविद्यालय अर्थात् :—

1—नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद,

2—चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर, और

3—सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ,

अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी-अपनी प्रवेश परीक्षाएं अलग-अलग संचालित करा रहे हैं जिसके कारण कृषि एवं प्रौद्योगिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक विश्वविद्यालय में आवेदन-पत्र भरना पड़ता है और फीस जमा करनी पड़ती है जिससे अभ्यर्थियों पर अनावश्यक भार पड़ता है। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को प्रत्येक ऐसे विश्वविद्यालय से समुचित सूचना समय से नहीं मिल पाती है। अतएव, अभ्यर्थियों की उक्त असुविधा को दूर करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके यह व्यवस्था की जाय कि रजिस्ट्रार राज्य के तीनों कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु, चक्रीय क्रम से, संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।

तदनुसार उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राम हरि विजय त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

NO. 583/VII-V-1-01(Ka)-18-2006

Dated Lucknow, May 24, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 23, 2006.

पठित निम्नलिखितः

(1) शासनादेश संख्या-वे.आ.-2-975/दस-2005-41/04 दिनांक 22 सितम्बर, 2005
(2) शासनादेश संख्या-वे.आ.-2-72/दस-2006-31/04 दिनांक 31 जनवरी, 2006
(3) शासनादेश संख्या-वे.आ.-1-336(2)/ दस-2009-42 (एम)/08 दिनांक 01 जून, 2009
(4) भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापनः- संख्या-1 (3)/2008-ई-11(बी) दिनांक 29 सितम्बर, 2009

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-वे.आ. -1-336(2)/दस-2009-42 (एम) /08 दिनांक 01 जून, 2009 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्ण कालिक कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत ऐसे पदधारकों, जिनके द्वारा वेतन समिति उ. प्र. (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा जिन पर पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू नहीं है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में पुनरीक्षित नहीं हुये है को संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2009 से निम्नानुसार भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01 जुलाई, 2009	वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 73 प्रतिशत

2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबन्ध में शासनादेश संख्या-वे.आ. -1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3. महँगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम -9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

4. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2009 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन, जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जनवरी, 2010 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अंतिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान, दिनांक 01 जनवरी, 2010 से (माह जनवरी, 2010 का भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2010 को देय) नकद किया जायेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन.एस.सी.) के रूप में दी जायेगी, परंतु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी। महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित बिल/शेडयूल/चालान पर शासनादेश

संख्या-सा.-4-12/दस-97-500(1)-97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगाई जानी चाहिये।

5. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो अधिकारी /कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 जून, 2010 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महँगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,
(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव।

28

[1][उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2010)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पर दिनांक 02 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जायेगा;

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. **उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958 की धारा 2 का संशोधन**—उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है कि धारा 2 में खण्ड (ठ) में शब्द "सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अथवा मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा रख दिये जायेंगे।

3-**धारा 2-क का संशोधन**—मूल अधिनियम की धारा 2-क में,—

(क) उपधारा (1-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात—

"(1-ख) उपधारा (1) और उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे बांदा में एक विश्वविद्यालय जो मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा कहलायेगा, की स्थापना की जायेगी।"

1. अधिसूचना संख्या 301/79-वि-1-10-1(क)27-2009, दिनांक 02 मार्च, 2010 को उ.प्र. असाधारण गजट भाग-1, खण्ड (क) में दिनांक 2 मार्च, 2010 को प्रकाशित हुआ।

(ख) उपधारा (2) में शब्द और अंक उपधारा (1) या उपधारा (1-क)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1) या उपधारा (1-क) या उपधारा (1-ख)" रख दिये जायेंगे।

4-**अनुसूची का संशोधन**—मूल अधिनियम की अनुसूची में,—

(क) क्रम संख्या 3 में, खण्ड (ख) में, स्तम्भ-3 में शब्द "झांसी, इलाहाबाद और चित्रकूटधाम" के स्थान पर शब्द "और इलाहाबाद" रख दिये जायेंगे।

(ख) क्रम संख्या 4 में, स्तम्भ-3 में शब्द "और आगरा" के स्थान पर शब्द आगरा, बरेली, अलीगढ़ और मुरादाबाद रख दिये जायेंगे।

(ग) क्रम संख्या 4 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या स्तम्भवार रख दी जायेगी अर्थात्—

1	2	3
5	मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा	झांसी और चित्रकूटधाम मण्डल

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958) का अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि के विकास के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन करने के लिए किया गया है। वर्तमान में तीन विश्वविद्यालय अर्थात् चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक, विश्वविद्यालय फैजाबाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ कार्य कर रहें है। यह विनिश्चय किया गया है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए मान्वयर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा के नाम से एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2010 पुनःस्थापित किया जाता है।

[1][The Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Act, 2010

[U.P. Act No. 8 of 2010]

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

IN pursuance: of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 02, 2010:

AN ACT Further to amend the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :

1. Notification No. 301(2)/LXXIX-V-1-10(Ka)27-2009, Dated Lucknow, March 02, 2010.

1. Short title.—(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.

(2) It shall come into, force on such date as the State Government may, by notification appoint.

2. Amendment of Section 2 of U.P. Act No. 45 of 1958.—In Section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958, hereinafter referred to as, the principal Act, in Clause (1) for the words "the Sardar Vallabh Bhai Patel Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya" the words "the Sardar Vallabh Bhai Patel Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya or the Manyawar Shri Kanshi Ram Ji Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Banda," shall be *substituted*.

3. Amendment of Section 2-A.—In section 2-A of the principal Act,—

(a) after sub-section (1-A) the following sub-section shall be inserted, namely :

"(1-B) Besides the Universities reffered to in sub-section (1) and sub-section (1-A) there shall be established with effect from such date as the State Government may by notification in the Gazette, appoint in that behalf a University at Banda to be known as the Manyawar Shri Kanshi Ram Ji Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Banda."

(b) in sub-section (2) *for* the words and figures "sub-section (1) or sub-section (1-A)" the words and figures "sub-section (1) or sub-section (1-A) or sub-section (1-B)" shall be *substituted*.

4. Amendment of the Schedule.—In the Schedule to the principal Act,—

(a) in serial no. 3, in Clause (b), in column-3 for the words "Jhansi, Allahabad and Chitrakootdham" the words "and Allahabad" shall be *substituted*.

(b) in serial no. 4, in column-3 *for* the words "and Agra" the words "Agra, Bareilly, Aligarh and Moradabad" shall be *substituted*.

(c) *after* serial no. 4 the following serial shall columnwise be *substituted*, namely:

1	2	3
5	Manyawar Shri Kanshi Ram Ji Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Banda	Jhansi and Chitrakootdham Divisions

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 (U.P. Act No. 45 of 1958) has been enacted to establish and incorporate Agricultural Universities for the development of agriculture in the State of Uttar Pradesh. At present three Universities namely Chandra Shekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Kanpur, Narendra Dev Krishi, Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Faizabad and Sardar Vallabh Bhai Patel Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Meerut are functioning in the State under the said Act. It has been decided to amend the said Act to establish an University at Banda to be known as Manyawar Shri Kanshi Ram Ji Krishi Evam Prodyogik

स्पीड पोस्ट

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–227132

संख्या : ई– 2714 /जी.एस.
दिनांक 09 अप्रैल 2012

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी (विधि),
उत्तर प्रदेश।

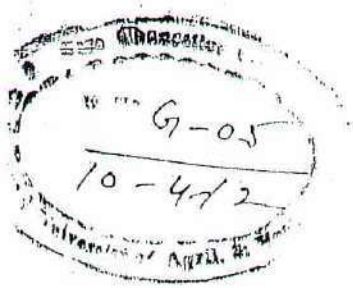

सेवा में,

कुलपति
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर ।

विषयः– परिनियमावली के अध्याय–13, परिनियम 1(ई) में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या– सीएसयूएच(आर)–2306 / 2012 दिनांक 13 मार्च 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र संख्या सीएसएयू / आर–1099 / 2010 दिनांक 19 जुलाई 2010 द्वारा प्रेषित उपरोक्त विषयक प्रस्ताव को वि0वि0 के पत्र संख्या सीएसयूएच–2335 / सीसी / 2010 दिनांक 01 अक्टूबर 2010 में संशोधित किया गया तथा इस पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को वि0वि0 के पत्र संख्या सीएसयूएच–2421 / 2010 दिनांक 23.10.2010 द्वारा संशोधित कर दिया गया था । कृपया तदनुसार उपरोक्त यथासंशोधित परिनियम को अधिसूचित करते हुए अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

4.4.12

(अरविन्द मिश्र)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी(विधि) ।

1. DAM
2. Registrar

10/4

VICE CHANCELLOR
C.S.A. Univ of Agril & Tech.
KANPUR

Sri V.K. Shukla

DAM
10.4.12

143
11/4

Urgent
Registrar may please issue necessary notification.
11/4

Registrar

(10) (126)

कार्यालय कुलसचिव,

चन्द्र शेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर–2

दिनांकः 24-02-2012

पत्रॉकः सीएसएयू/आर– 2050 /2012

अधिसूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम–1958 की धारा–29(6) के अधीन महामहिम कुलाधिपति महोदय ने इस विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अध्याय–XIII, परिनियम 1 (ई) में विद्यमान प्राविधान के स्थान पर प्रस्तावित प्राविधान को प्रतिस्थापित किये जाने का अनुमोदन पत्र सं0 10001/जी.एस. दिनांक 28.12.2011 द्वारा प्रदान कर दिया है।

विद्यमान प्राविधान	प्रतिस्थापित प्राविधान
"1(e) In case of appointment through personal promotion scheme approved by Government of Uttar Pradesh for teachers under G.O.No. 840 / 12 – 8 - 400(19)/84 dated 10-09-1984, appointment shall be made as per the Government orders referred to above and as amended from time to time."	"1(e) In case of appointment through personal promotion scheme approved by Government of Uttar Pradesh for teachers under G.O.No. 840/12-8-400(19)/84 dated 10-09-1984, No.5239/12-8-88-400(236)/87 dated 09-12-1988 as amended vide G.O. No. 4214/12-8-91-400(182)/89 dated 27-03-1992, No. 290/12-8-2000-400(43)/99A dated 07-02-2000 and No. 3971/67-कृशिअ–08-200(51)/06 dated 05-12-2008, appointment shall be made as per the Government orders referred to above and as amended from time to time."

R Singh

(राजेन्द्र सिंह)
कुलसचिव

पत्रांकः सीएसएयू/आर– 2050 /2012 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. कुलाधिपति महोदय के विशेष कार्याधिकारी (विधि), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्याः ई–10001/जी. एस. दिनांक 28.12.2011 के सन्दर्भ में।
2. प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, विधान भवन, लखनऊ।
3. संयुक्त सचिव, कृषि अनुभाग–8, उत्तर प्रदेश शासन, विधान भवन, लखनऊ।
4. समस्त सदस्य, प्रबन्ध मण्डल, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
5. समस्त सदस्य, विद्वत परिषद, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
6. अधिष्ठाता, कृषि संकाय/अधिष्ठाता, गृह विज्ञान संकाय/अधिष्ठाता, कृषि, अभियंत्रण/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
7. निदेशक प्रसार/निदेशक, कृषि प्रयोग केन्द्र/निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
8. निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
9. प्रस्थापना अधिकारी, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
10. प्रभारी अधिकारी, पुस्तकालय, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
11. प्रभारी अधिकारी, विधिक प्रकोष्ठ, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
12. कुलपति के तकनीकी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

R Singh

(राजेन्द्र सिंह)
कुलसचिव

Sri R.K. Yadav
Sri V.K. Shukla

Sam Doc. ACT

6026
24/2/12

24.2.12
DAM
24.02.12

(159)

पत्रांकःसीएसयूएच(आर)-9306/2012
दिनांक मार्च 13, 2012

सेवा में,

कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी (विधि)
राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
राजभवन, लखनऊ।

विषयः परिनियमावली के अध्याय-XIII परिनियम 1(ई) में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई-10001/जी0सी0 दिनांक 28.12.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिनियमावली के अध्याय-XIII, 1(ई) में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया हैं।

उपरोक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जारी शासनादेश संख्या-2631/67-कृशिआ-10-1500(16)/09 दिनांक 21.09.2010 के प्रस्तर-9 में दिये गये प्राविधानानुसार कैरियर एडवान्समेंट स्कीम का प्राविधान परिनियमावली के अध्याय-XIII, 1(ई) में किया जाना है। कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्याःई-8376/10-जी0एस0/10-XIV दिनांक 12.11.2010 के संदर्भ में विश्वविद्यालय के पत्र संख्याःसीएसयूएच-3815/2011 दिनांक 02.03.2011 द्वारा परिनियमावली के अध्याय-XIII, परिनियम-1(ई) में संशोधन हेतु प्रेषित प्रस्ताव के साथ संलग्नक (VII) के अन्त में क्रमांक-4 पर उल्लिखित उक्त शासनादेश दिनांक 21.09.2010 का समावेश कुलाधिपति सचिवालय के उक्त पत्र दिनांक 28.12.2011 द्वारा जारी अनुमोदन में नहीं हो पाया है। अतएव मा0 प्रबन्ध मण्डल की 144वीं बैठक दिनांक 29.01.2011 के मद संख्या-05 पर संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुमोदन के निर्णय की प्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित है।

विद्यमान प्राविधान	संशोधन हेतु प्रस्तावित प्राविधान
"1(e) In case of appointment through personal promotion scheme approved by Government of Uttar Pradesh for teacher under G.O.No. 840/12-8-400(19)/84 dated 10-09-1984, No.5239/12-8-88-400(236)/87 dated 09-12-1988 as amended vide G.O. No.4214/12-8-91-400(182)/89 dated 27-03-1992, No. 290/12-8-2000-400(43)/99A dated 07-02-2000, and No.3971/67-कृशिआ-08-200(51)/06 dated 05-12-2008 appointment shall be made as per the Government orders referred to above and as amended from time to time."	"1(e) In case of appointment through personal promotion scheme approved by Government of Uttar Pradesh for teacher under G.O. No. 840/12-8-400(19)/84 dated 10-09-1984, No.5239/12-8-88-400(236)/87 dated 09-12-1988 as amended vide G.O. No.4214/12-8-91-400(182)/89 dated 27-03-1992, No. 290/12-8-2000-400(43)/99A dated 07-02-2000, No.3971/67-कृशिआ-08-200(51)/06 dated 05-12-2008 and No.2631/67-कृशिआ-10-1500(16)/09 dated 21-09-2010, appointment shall be made as per the Government orders referred to above and as amended from time to time."

अतएव महामहिम कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि परिनियमावली के अध्याय-XIII, 1(ई) में संशोधन हेतु प्रस्तावित उक्त प्राविधान का अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की जाय।

संलग्नकः उपरोक्त।

भवदीय,

(जी0सी0 तिवारी)
कुलपति

R Singh
13.3.12

स्पीड पोस्ट

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–226027

संख्या ई–1180/9–जी0एस0/2018–i
दिनांक : 28/02/2019

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/ कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति,
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषय– विश्वविद्यालय में क्रियान्वित परिनियमावली के अध्याय–5 की धारा–28(1) अध्याय–6 की धारा–17(1),(2) (3) एवं धारा–28(बी) तथा अध्याय–14 की धारा–28(एफ) में संशोधन बाबत।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रेषित अपने पत्रांक:सवप/वी0सी0/4498/2019, दिनांक 08.02.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय में क्रियान्वित परिनियमावली में निम्नानुसार समाहित/संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है:–

Existing Section 28(i)	Proposed Amendment Section 28(i)
1. The University may have the following colleges: a. College of Agriculture b. Collgege of Veterinary Science and Animal Husbandry c. College of Technology d. College of Home Science e. College of Forestry f. College of Horticulture g. College of Dairy Technology h. College of Fisheries Schience and Research Centre	1. The University may have the following colleges: a. College of Agriculture b. Collgege of Veterinary Science and Animal Husbandry c. College of Technology d. College of Home Science e. College of Forestry f. College of Horticulture g. College of Dairy Technology h. College of Fisheries Schience and Research Centre i. College of Post Harvest Technolgoy and Food Processing J. College of Sugracane Science and Technology
Existing Section 17(i)(2)(3) and Section (28)(b)	**Proposed Amendment Section 17(i)(2)(3) and Section (28)(b)**
1. The University may have the following facultires: a. College of Agriculture b. Collgege of Veterinary Science and Animal Husbandry	1. The University may have the following facultires: a. College of Agriculture b. Collgege of Veterinary Science and Animal Husbandry

6048
5/3/19

कुलसचिव

All Deans / Directors / Registrar (P)

c. College of Technology d. College of Home Science e. College of Forestry f. College of Horticulture g. College of Dairy Technology h. College of Fisheries Schience and Research Centre	c. College of Technology d. College of Home Science e. College of Forestry f. College of Horticulture g. College of Dairy Technology h. College of Fisheries Schience and Research Centre i. College of Post Harvest Technolgoy and Food Processing J. College of Sugracane Science and Technology
Existing Section 28 (f)	**Proposed Amendment Section 28(f)**
1. The University shall subject to the conditions to be laid down by the Academic Council and approved by the Board grant the following degrees and diplomas. (i) Bachellor of Science (Hons) Agriculture (ii) Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry (iii) Bachelor of Technology (Biotechnology)	1. The University shall subject to the conditions to be laid down by the Academic Council and approved by the Board grant the following degrees and diplomas. (i) Bachelor of Science (Hons)Agriculture (ii) Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry (iii) Bachelor of Technology (Biotechnology) (iv) Bachelor of Technology (Agricultural Engg) (v) Bachelor of Science (Hons.) Horticulture (vi) Bachellor of Technolgy (Food Technology) (vii) Bachelor of Technology (Sugarcane Science and Technology)

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त कियान्वित परिनियमावली संशोधन/समाहित प्रस्ताव को उ0प्र0 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम–1958 की धारा–29(6) के अन्तर्गत माननीय कुलाधिपति महोदय ने उक्तानुसार यथास्थान पर समाहित/संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है।

भवदीय,

(हेमन्त राव)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि– प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हेमन्त राव)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

क्रम संख्या–151 (क-3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 5 अगस्त, 2019
श्रावण 14, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग–1

संख्या 1450/79-वि-1–19-1(क)-5-19
लखनऊ, 5 अगस्त, 2019

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 जिससे कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान अनुभाग प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 2 अगस्त, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,–

(क) खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ट) 'अध्यापक' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सन्नियमों तथा मार्गदर्शनों के अनुसार सम्यक रूप से नियुक्त सहायक आचार्य की श्रेणी से अनिम्न किसी व्यक्ति से है;" और

(ख) खण्ड (ठ) में शब्द "नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय" रख दिये जायेंगे।

धारा 2–क का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 2-क में, उपधारा (1) के खण्ड (एक) में शब्द "फैजाबाद में एक विश्वविद्यालय की, जो नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहलायेगा" के स्थान पर शब्द "अयोध्या में एक विश्वविद्यालय की, जो आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहलायेगा," रख दिये जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 11 में, उपधारा (1) में शब्द "ऐसी समिति द्वारा, जिसमें नियत रीति से चुना गया बोर्ड का एक प्रतिनिधि और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो अन्य सदस्य होंगे," के स्थान पर शब्द "ऐसी खोजबीन समिति द्वारा, जिसमें बोर्ड का एक पदेन सदस्य, अर्थात् सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो अन्य सदस्य होंगे," रख दिये जायेंगे।

अनुसूची का संशोधन

5–मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या 2 में,–

(क) स्तम्भ 2 में, शब्द "नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय" रख दिये जायेंगे।

(ख) स्तम्भ 3 में, शब्द "फैजाबाद" के स्थान पर शब्द "अयोध्या" रख दिया जायेगा।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958), उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि के विकास के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन करने के लिये अधिनियमित किया गया है। वर्तमान में उक्त अधिनियम के अधीन राज्य में चार विश्वविद्यालय अर्थात् चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ और बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा कार्य कर रहे हैं। श्रद्धेय आचार्य नरेन्द्र देव को सम्मान प्रदान किये जाने और राज्य सरकार का जिला फैजाबाद का नाम अयोध्या के रूप में परिवर्तित करने के विनिश्चय को लागू करने के साथ ही साथ उक्त अधिनियम के अधीन 'अध्यापक' की परिभाषा में संदिग्धता को दूर करने और कुलपति के चयन के लिए उपयुक्त व्यक्ति को खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में बोर्ड से नाम निर्दिष्ट किये जाने हेतु यह विनिश्चय किया गया है कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद का नाम आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के रूप में तथा जिला फैजाबाद का नाम अयोध्या के रूप में परिवर्तित करने और खोजबीन समिति के गठन का

उपबन्ध करने के साथ ही साथ 'अध्यापक' की परिभाषा का उपान्तरण करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 1450(2)/LXXIX-V-1–19-1(Ka)5-19
Dated Lucknow, August 5, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019 (Uttar pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 2, 2019. The Krishi Shiksha Evam Anusandhan Anubhag is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH KRISHI EVAM PRODYOGIK VISHWAVIDYALAYA
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019
(U.P. Act No. 9 of 2019)
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]
AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958.

IT IS HEREBY enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019. Short title

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958, hereinafter referred to as the principal Act,- Amendment of section 2 of U.P. Act no. XLV of 1958

(a) for clause (k), the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(k) 'Teacher' means a person not below the rank of Assistant Professor duly appointed as per the norms and guidelines of UGC and ICAR in this regard by the University"; and

(b) in clause (1) for the words "the Narendra Deva Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya" the words " the Acharya Narendra Deva Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya," shall be *substituted.*

3. In section 2-A of the principal Act in clause (i) of Sub-section (1) for the words "a University at Faizabad to be known as the Narendra Deva Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya;" the words "a University at Ayodhya to be known as the Acharya Narendra Deva Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya," shall be *substituted.* Amendment of section 2-A

Amendment of section 11

4. In section 11 of the principal Act, in sub-section (1) for the words "a committee consisting of a representative of the Board chosen in the prescribed manner and two other members appointed by the State Government." the words "a search committee consisting of an *ex. officio* member of the Board i.e. the Secretary/Principal Secretary/Additional Chief Secretary of Agriculture Education & Research Department and two other members appointed by the State Government." shall be *substituted.*

Amendment of the schedule

5. In the Schedule to the principal Act, in serial no 2,–

(a) in a column 2 for the words "Narendra Deva Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya" the words "Acharya Narendra Deva Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya," shall be *substituted;*

(b) in column 3 for the word ''Faizabad'' the word ''Ayodhya'' shall be *substituted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 (U.P. Act no. 45 of 1958) has been enacted to establish and incorporate Agricultural Universities for the development of agriculture in the State of Uttar Pradesh. At present four Universities namely the Chandra Shekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Kanpur, the Narendra Deva Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Faizabad, the Sardar Vallabh Bhai Patel Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Meerut and the Banda Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Banda are functioning in the State under the said Act. To give respect to venerable person Acharya Narendra Deva and implement the decision of State Government to change the name of district Faizabad as Ayodhya as well as to remove the ambiguity in the definition of 'teacher' under the said Act, and nominate suitable person as a member of Search Committee for the selection of Vice Chancellor from the Board, it has been decided to amend the said Act to change the name of the Narendra Deva Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Faizabad as the Acharya Narendra Deva Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Ayodhya, the name of district Faizabad as Ayodhya and to modify the definition of 'teacher' along with the provision for constitution of the Search Committee.

The Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, (Sanshodhan) Vidheyak, 2019 is introduced accordingly.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 187 राजपत्र–(हिन्दी)–2019–(557)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 64 सा0 विधायी–2019–(558)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।